THE TIMES OF INDIA

Date: 01-09-17

OBC calculations

Instead of endlessly sub-dividing caste quotas, grow the job opportunities

Government is doing a lot of narrow fine-tuning of the job reservations policy, but there's no coherent vision of reform in all this tweaking. On Wednesday the Union Cabinet approved a proposal to identify posts in public sector undertakings and financial institutions that will be marked in the "creamy layer" category, to exclude them from 27% OBC reservations. This is to address the criticism that caste-based reservation benefits get gobbled up by a privileged class within beneficiary communities. At the same time the Cabinet has raised the salary ceiling for availing quotas from Rs 6 lakh to Rs 8 lakh.But what undermines claims of reform is the Cabinet also approving the setting up of a commission to examine the sub-categorisation of the central list of OBCs. While the move is aimed at ensuring a "more equitable distribution" of reservations in government jobs and educational institutions, there is no disguising its vote bank motivations. It is calculated to bring political benefits to BJP by weakening the constituencies of leaders like SP's Akhilesh Yadav and RJD's Lalu Prasad. Breaking the stranglehold of traditionally dominating castes could enable BJP to shore up its popularity among socially weaker OBCs.All of this takes place at a time when powerful castes like Marathas, Jats and Patels are also demanding reservation. As dividing and sub-dividing the same limited pie will only fuel social tension, there's an urgent need to stop using reservations to appease vote banks. Instead of permanent reservation benefits on the basis of caste, there needs to be policy shift towards economic considerations. And rather than endless parcelling of quotas, government should focus on reforming labour laws, which would actually create job opportunities to benefit all castes.

THE ECONOMIC TIMES

Date: 01-09-17

Let farmers set the price

By Alok Ranjan

Most states are in the grip of a serious agrarian crisis. Farmer discontent is getting increasingly aggressive. The recent incident in Mandsaur, Madhya Pradesh, has been a rude awakening for policymakers. The farmer is not getting a fair price for his produce, and his income is not growing. Bumper pulse harvests and horticulture crops have led to a crash in prices. No institutional mechanism for price stabilisation is working.Waiving loans has emerged as the politically preferred response. This may help in riding over the immediate danger, but it's certainly no long-term solution.Loans were waived in 2008-09, and yet, here we are. The real issue is that while cost of production is constantly going up, despite subsidies, the farmer is unable to get a proper price for his produce. The answer lies in reforming the agriculture markets.The main focus of agriculture departments has been the provision of inputs: seeds, fertilisers, pesticides and water. This necessitates a huge logistical exercise and requires monitoring on a daily basis. However, with the advent of technology input management, this isn't much of a bottleneck. The real issue is to ensure that the farmer gets a fair price.The archaic Agricultural Produce Market Committee (APMC) still governs where and how a farmer can sell his produce. The Minimum Support Price (MSP) mechanism remains the only tool to ensure the price for the farmer.

APMC reforms have been talked about for a decade. Nothing has happened. Earlier, the trader-middleman was free to exploit the farmer. The mandi system tried to attend to this issue, and succeeded. But now, the entire economic environment has changed. Liberalisation of agriculture is the need of the hour.There should be free movement of agricultural commodities from one state to another, as well as outside the country. Any restriction in the path of this freedom needs to be dismantled. This mechanism would by itself stabilise the price. There should be no restrictions on the farmer selling directly to the consumer.APMC reforms have not been successful because of the resistance of states to the concept of contract farming. Most governments fear a political fallout if they agree. Surely, an institutional mechanism can be developed to address any fear of exploitation of farmers in contract farming.The MSP mechanism exists mainly for cereals like wheat and rice. The Food Corporation of India (FCI) is the agency to carry out this procurement.However, FCI is able to meet its targets only from Punjab and Haryana. They neither have the resources nor the inclination to cater to other states, especially backward areas where the benefit doesn't reach the small and marginal farmer.

Very often, the produce is procured by the local trader from the farmer at aprice much lower than MSP. It is then the trader who sells it at the government purchase centre. This happens despite safeguards and monitoring.MSP is declared for pulses and oilseeds also. However, there is no system of regular procurement. The National Agricultural Cooperative Marketing Federation (Nafed) has a mandate to intervene only if prices fall below MSP. Even then, procurement is conducted in small quantities. This happens because pulses and oilseeds do not go into the Public Distribution System (PDS) and the procurement agency has to sell in the open market, incurring significant losses.The situation is worse in horticulture. GoI's Market Intervention System (MIS) is inherently defective. It says that the procurement

agency shall not be reimbursed losses beyond 25%. But when horticultural crops face a glut, the price falls steeply and the losses to the procurement agency are huge. As such, the MIS has no incentive for the procurement agency to procure at designated price.The answer lies in development of storage. Each primary cooperative society must have its own store. These cold storages need to be compliant with the norms of the Warehouse (Development and Regulation) Act, 2007. This implies that if the farmer stores his produce in these storages, he is issued a warehouse receipt, which is a negotiable instrument. He can then utilise at least 75% of this amount, which he gets from banks to buy inputs. This enhances his staying power, and he can dispose his produce when the market improves.There is no alternative to farmer aggregation. The cooperative, as a form of aggregation, was idealistic. But it has mostly failed due to increasing politicisation. The small farmer alone doesn't have the bargaining power to withstand the market.The Farmers Producer Organisation (FPO) can do this. A structure must be created where a farmer does not sell in distress, but according to market forces. His decision should be able to influence the market.

दैनिक भास्कर

Date: 01-09-17

डोकलाम विवाद के बाद सीमा पर उपग्रहों से निगरानी

चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए उपग्रहों की मदद लेने का फैसला स्वागत योग्य है।

संपादकीय

डोकलाम विवाद का तनाव झेलने और फिलहाल उसके निपट जाने के बाद चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए उपग्रहों की मदद लेने का फैसला स्वागत योग्य है। वह इस काम का विस्तार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भी कर सकता है, क्योंकि वहां से भी उग्रवाद और तस्करी की समस्याएं देश में प्रवेश करती हैं। भारत की चीन से 3500 किलोमीटर और पाकिस्तान से 2900 किलोमीटर सीमा लगती है और यही सर्वाधिक तनाव पैदा होता रहता है।हालांकि पाकिस्तान और चीन से होने वाले तनाव में फर्क है लेकिन उनमें नज़दीकी बढ़ने के साथ इनकी प्रकृति एक जैसी होती जा रही है। उपग्रह प्रक्षेपण में विशिष्टता विकसित कर चुके भारत के लिए यह काम आसान भी है और दूसरे देशों पर बढ़त देने वाला है। जब ये उपग्रह दिन-रात की तस्वीरें भेजेंगे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाए जा रहे केंद्र से उनकी निगरानी होगी तो कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तब शायद केंद्र सरकार और भारतीय सेना को भूटान से सूचना मिलने या चमोली के डीएम से संदेश मिलने का इंतजार नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते प्रक्षेपित किए गए कार्टोस्टेट उपग्रह को मिलाकर सैनिक कामों में लगे भारतीय उपग्रहों की संख्या अब 13 हो गई है।यह रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट धरती के करीब कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और इनकी ऊंचाई 200 से 1200 किलोमीटर तक होती है। इस उपग्रह की विशेषता यह है कि इससे 0.6 मीटर की लंबाई और चौड़ाई वाले इलाके के भीतर होने वाली किसी भी गतिविधि का चित्र लिया जा सकता है। सीमा से मिली तस्वीरों का इस्तेमाल सुरक्षा के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनयिक दबाव के लिए भी किया जा

सकेगा। अगर कोई देश सैनिक घुसपैठ कर रहा है या कहीं से आतंकी आ रहे हैं तो भारत इस बात को प्रमाण के साथ रख भी सकता है।यह दौर सेनाओं के सीधे युद्ध से हट कर प्रौद्योगिकी युद्ध का है और संभव है कि इस तरह की निगरानी की होड़ इस एशियाई भूभाग में तेज हो। इसलिए इस फैसले का स्वागत करने के साथ यह भी कहना आवश्यक है कि सीमा विवाद सिर्फ उपग्रह की निगरानी से हल नहीं होंगे। उनके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी और जब वह इच्छा शक्ति पैदा होगी तो यह उपग्रह विवाद के बजाय साझी मानवता के लिए काम करेंगे।

दैनिक जागरण

Date: 01-09-17

आरक्षण की विसंगति

मुख्य संपादकीय

यह आश्चर्यजनक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के बारे में अभी तक यही स्पष्ट नहीं था कि वे क्रीमीलेयर के तहत आते है या नहीं? यह अस्पष्टता 1993 से चली आ रही थी, लेकिन पता नहीं किस कारण इसके पहले किसी सरकार ने इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी कि इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए? चूंकि ऐसा नहीं किया गया इसलिए इन संस्थानों में उच्च पदों पर बैठे अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संतानें भी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठा रही थीं। ऐसा होना आरक्षण की मूल अवधारणा के भी खिलाफ था और सामाजिक न्याय के भी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन सौ से अधिक उपक्रमों के साथ-साथ बैैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की भी संख्या अच्छी-खासी है। बेहतर होता कि सरकार ऐसे अफसरों की संख्या का भी उल्लेख करती जो इन संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन हैऔर जो अन्य पिछड़े वर्ग के है। इससे यह स्पष्ट होता कि इस वर्ग के लोग सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों एवं वित्तीय संस्थानों में उच्च पदों तक पहुंच भी रहे है या नहीं? ऐसा कोई आंकड़ा सामने आना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की यह शिकायत है कि उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग के पद भरने में देरी होती है। बेहतर हो कि सरकार इस शिकायत को दूर करे। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हें ही मिले जो सामाजिक तौर पर पिछड़े है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि जैसे ओबीसी की कुछ सक्षम जातियां या फिर लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे है वैसे ही अनुसूचित जातियों-जनजातियों की भी कुछ समर्थ जातियां अथवा उच्च पदों तक पहुंच गए उनके लोग भी आरक्षण से लाभान्वित हो रहे है। इस विसंगति के चलते इन वर्गों के पात्र लोग आरक्षण का लाभ पाने से वंचित है। हालांकि बीते दिनों सरकार ने ओबीसी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के उद्देश्य से इस तबके की जातियों का वर्गीकरण करने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला किया है, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित ही है कि ऐसा ही आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वर्गीकरण के लिए क्यों नहीं बनाया गया? यह ठीक है कि सरकार ने आरक्षण की एक और विसंगति दूर की, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है वह धीरे-धीरे सरकारी नौकरियां पाने का जरिया बनता जा रहा है। दरअसल इसी कारण आरक्षित वर्ग के बाहर की तमाम जातियां खुद को आरक्षण के दायरे में लाने की मांग कर रही है। किसी को नाराज न करने के भय से ऐसी मांगों के प्रति आम तौर पर सभी राजनीतिक दल नरम रवैया ही अपनाते है। यह नरम रवैया आरक्षण की नई-नई मांगों को और हवा देता है। यह तब तक होता रहेगा जब तक आरक्षण की सभी खामियों को दूर नहीं किया जाएगा। विडंबना यह है कि जब भी आरक्षण की समीक्षा का सवाल आता है, सभी दल उससे कन्नी काटते ही दिखते है।

Date: 01-09-17

दिशा तलाशती दलित राजनीति

बद्री नारायण

बीते दिनों पटना में लालू यादव की रैली में विपक्षी नेताओं में जो प्रमुख चेहरा नजर नहीं आया वह बसपा सुप्रीमो मायावती का था। इस रैली में माया की अनुपस्थिति इसलिए उल्लेखनीय रही, क्योंकि एक तो वह विपक्षी एकता की हिमायती रही है और दूसरे लालू यादव उन्हें अपने दल की ओर से राज्यसभा में भेजने की बात करते रहे है। मायावती का इस रैली में शामिल नहीं होना कहीं न कहीं यह बताता है कि वह अपने बलबूते राजनीति करना चाह रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां कांशीराम ने अपनी बहुजन राजनीति को भाई-भतीजावाद से दूर रखना चाहा था, वहीं आज बसपा में भाई भतीजावाद दिखाई पड़ने लगा है। मायावती ने बसपा में अपने बाद के नेतृत्व पर संशय को साफ करते हुए अपने भाई एवं भतीजे की जगह दी है। बसपा नेताओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ चंदे की उगाही में हिस्सेदारी जैसे टकराव बहुजन राजनीति को कमजोर करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति में दलितों की वही जातियां प्रभावी हैं जिनकी संख्या ज्यादा है या फिर जो विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। दलितों में 50 से ज्यादा छोटी छोटी संख्या वाली दलित बहुजन जातियों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में न के बराबर है। अन्य राज्यों में भी दलित राजनीति बड़े दलों की पिछलग्गू की तरह ही है जिसे कांशीराम ने 'चमचा संस्कृति' कहा था। दलित राजनीति में दलितों की कुछ बड़ी जातियों का प्रभुत्व एवं अनेक छोटी जातियों की नगण्य उपस्थिति दूसरी बड़ी समस्या है। अपने देश के विभिन्न राज्यों में दलित राजनीति के अलग-अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। दलित राजनीति का तात्पर्य दलित गोलबंदी से है। हिंदी क्षेत्रों में बहुजन राजनीति के रूप में दलितों की राजनीति 90 के दशक में मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश में तो यह राजनीति मजबूत हुई ही, साथ ही प्रारंभिक दौर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी उसका आकर्षण बढ़ा। उत्तर प्रदेश में 'दलित पार्टी' के रूप में शुरू हुई बसपा सही रूप में दलित से 'बहुजन' का आकार लेते हुए सर्वजन के रूप में फैली, किंतु आज उत्तर प्रदेश में 'बहुजन राजनीति' गहरे संकट से गुजर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी इसका शुरुआती आकर्षण आज छीज सा गया है। वैसे तो बसपा देश के अनेक राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनावों में अपने उम्मीदवार लड़ाती है, लेकिन उसे अभी तक उत्तर प्रदेश को छोड़ अन्य किसी राज्य में महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त आजादी के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दलित अस्मिता की राजनीति मुखर होकर उभरी थी। केरल में दलित गोलबंदी पर कांग्रेस, वामपंथी एवं आरएसएस की राजनीति का गहरा असर है। मध्य जातियों के प्रभाव वाली केरल की राजनीति में दलित राजनीति लगभग वहां की मुख्यधारा में समाहित है। दलितों का एक छोटा धड़ा एक स्वायत्त दलित राजनीति की बात तो करता है, किंतु उनका व्यापक भाग केरल की मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा है। यहां की दलित चेतना के निर्माण में ईसाई मिशनरियों के साथ अंबेडकरवादी एवं वामपंथी राजनीति का गहरा असर दिखाई पड़ता है। अब संघ की राजनीति का असर भी यहां के मछुआरों और अन्य छोटी जातियों पर दिखाई पड़ने लगा है।

तमिलनाडु में दलित राजनीति ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की छाया में विकसित हुई। इस आंदोलन में मध्य जातियां ज्यादा प्रभावी होकर उभरीं और इस तरह दलितों के मुद्दे गौण से हो गए। आज तमिलनाडु की दलित राजनीति के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ है। तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों के दलित आंदोलनों के समक्ष दूसरी समस्या यह है कि वे किस प्रकार अपने विचार एवं तर्कों को लोकप्रिय आधार दें। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पंजाब में दलित आंदोलन के संकट थोड़े भिन्न हैं। पंजाब में भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा

31 प्रतिशत के आस-पास दलित हैैं। इस 31 प्रतिशत आबादी का बहुलांश रविदासी एवं बाल्मीकि जातियों से है। ये दोनों समुदाय राजनीतिक रूप से एक होने को तैयार नहीं होते। बहुधा इनमें से एक अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो दूसरा अकाली दल की तरफ । कांशीराम ने 90 के दशक में इनके बीच एकता लाने की कोशिश की थी, पर वह भी सफल नही हुए। पंजाब का होने के बावजूद वह बसपा का प्रसार पंजाब में नही कर पाए। पंजाब में आज भी दलित राजनीति की सबसे बड़ी समस्या संख्या एवं आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण दो बड़ी जातियों में एकता न होना है।महाराष्ट्र में आरपीआई एवं दलित पैंथर से निकले हर बड़े नेता ने अपना गुट बना लिया है। रामदास अठावले शिवसेना से होते हुए भाजपा तक पहुंच चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर आज भी कांग्रेसी प्रभाव में हैं। महाराष्ट्र में भी दलित दो बड़ी जातियों में विभाजित -महार एवं मातंग हैैं। इन जातियों से निकले नेताओं ने अपने-अपने दल बना लिए हैैं। जातीय एवं क्षेत्रीय अस्मिताओं के आपसी टकराव यहां की दलित राजनीति के संकट को बढ़ा रहे हैैं। यहां दलित आबादी शिवसेना, भाजपा एवं कांग्रेस समर्थक के तौर पर बंटी दिखती है। आंध्र की दलित राजनीति अंबेडकरवादी राजनीति से प्रभावित होने के साथ ही भाग्य रेड्डी के 'आदि आंदोलन' से प्रभावित रही है, किंतु अब वहां भी दलित राजनीति स्वायत्त रूप से न विकसित होते हुए एक तरह से टीआरएस और टीडीपी के साथ-साथ कांग्रेस एवं भाजपा के बीच सैंडविच बनकर रह गई है। तमाम समानतावादी आदर्शों के बावजूद आंध्र की दलित राजनीति 'माला' एवं 'मादिगा' जैसे दो बड़े दलित समूहों के अंतर्विरोधों का शिकार है। इन दो जातियों की अस्मिता का टकराव यहां की दलित राजनीति को एक नहीं होने दे रहा। 'मादिगा' जाति को सदैव यह शिकायत रही है कि दलित के नाम पर मिलने वाले जनतांत्रिक लाभों का बहुलांश 'माला' जाति के कब्जे में चला जाता है। अन्य छोटी दलित जातियों का प्रतिनिधित्व न होना भी आंध्र प्रदेश की दलित राजनीति का एक बड़ा संकट है। कुल मिलाकर अनेक राज्यों में दलित राजनीति में दो या तीन बड़ी जातियों का जनतांत्रिक लाभों के बंटवारे के लिए हो रहा टकराव दलित राजनीति को कमजोर कर रहा है। दलित समूहों में आज नेतृत्व केअनेक स्तर उभर आए हैं। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की टकराहट भी दलित राजनीति को लगातार कमजोर करती जा रही है। अंबेडकरवादी आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के बावजूद आज की दलित राजनीति मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की राजनीतिक संस्कृति की ही शिकार है। महत्वाकांक्षओं की टकराहट, भाई-भतीजावाद, सत्ता प्राप्ति की होड़ उन्हें भीतर से कमजोर करती जा रही है। जिसका प्रतिरोध करना था, उसी से प्रभावित होते जाना दलित राजनीति के संकट को और गहरा कर रहा है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

Date: 01-09-17

न्यूनतम वेतन प्रस्ताव के बड़े हैं जोखिम

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की व्यवस्था औपचारिक रोजगार सृजन खत्म कर देगी जबकि युवाओं को उसकी बहुत आवश्यकता है। इससे प्रतिस्पर्धी संघवाद की भी क्षति होगी।

मनीष सभरवाल और सोनल अरोड़ा

देश का श्रम मंत्रालय वाकई बहुत अनभिज्ञ है। शायद ग्वालियर में रोजगार मेले में आए उस युवा से भी जिसने हमसे कहा, 'मुझे ग्वालियर में 4,000 रुपये, गुडग़ांव में 6,000 रुपये, दिल्ली में 9,000 रुपये और मुंबई में 18,000 रुपये का वेतन दीजिए, मैं इनमें से कहीं भी जाने को तैयार हूं।' 18,000 रुपये को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन घोषित करने का प्रस्ताव औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वेतन और जीवन स्तर की लागत बेमेल हो जाएगी। यह निर्णय इसलिए भी घातक है क्योंकि अधिकांश उद्यमियों

को लगता था कि शायद पिछली सरकार की सलाहकार परिषद की अदूरदर्शिता से सबक लिया गया हो। उसकी अल्पकालिक नीतियों ने हमें अर्थव्यवस्था में मंदी विरासत में दी। इस सरकार ने नोटबंदी, दिवालिया कानून और जीएसटी के रूप में कई नीतिगत रूप से जोखिम भरे कदमों का समझदारी भरा उपयोग किया है। परंतु राष्ट्रीय न्यूनतम आय को लेकर कोई दीर्घकालिक समझ सामने नहीं आ रही है। यह एक अनावश्यक और बांटने वाला फैसला है। श्रम मंत्रालय ने औपचारिक रोजगार सृजन की कोई मदद नहीं की है और यह प्रस्ताव उसे छिपाने की कोशिश है। बल्कि यह कदम सरकार के सबसे प्रभावी नवाचारों में से एक प्रतिस्पर्धी संघवाद को नुकसान पहुंचा सकता है। देश में पूंजी बाजार नामक चीज है लेकिन श्रम बाजार पूरी तरह अनुपस्थित है। यही वजह है कि व्यापक निर्माण के मामले में 29 राज्यों के मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री से अधिक मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश श्रम निर्यात करने वाला बाजार है जहां से हर साल हजारों श्रमिक दूसरे प्रदेशों को जाते हैं। वह केरल जैसे बाजार से एकदम अलग है जहां दूसरी जगहों से श्रमिक आते हैं। वहां 9.5 फीसदी श्रमिक बिहार से आते हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 के अधीन 45 उद्योगों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया है। सांकेतिक राष्ट्रीय दर की बात करें तो फिलहाल राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 160 रुपये है और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। अगर प्रस्तावित दर तय होती है तो राज्य सरकारों का 1,679 अन्य उद्योगों का वेतन तय करने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। आखिर मुख्यमंत्रियों के अधिकार क्यों छीने जाएं।

श्रम सुधार पूरी दुनिया में विवादित है। इसके चलते इटली के युवा प्रधानमंत्री को अपना जन समर्थन गंवाना पड़ा। फ्रांस के समाजवादी प्रधानमंत्री दोबारा निर्वाचन के लिए प्रस्तुत नहीं हुए और जर्मनी की लोकप्रिय चांसलर एंगेला मर्केल के अलोकप्रिय प्रतिद्वंद्वी की लोकप्रियता बढ़ गई है क्योंकि उसने 2001 के श्रम सुधार पलटने का वादा किया है। श्रम कानून अक्सर युवाओं की कीमत पर पुराने लोगों का संरक्षण करते हैं। श्रम संगठनों की भूमिका की बात करें तो उन्होंने रोजगार संरक्षण को ही रोजगार निर्माण मानने की भूमिका अपना ली है। विभिन्न देश अक्सर जब विकल्पहीन हो जाते हैं तो इन सुधारों की दिशा में जाते हैं। जर्मनी में 2001 में हाड्ज आयोग के सुधार अपनाए गए क्योंकि उस वक्त देश की हालत खस्ता थी। सन 1990 के दशक में वहां मेहनताने का तेजी से विकेंद्रीकरण किया गया था क्योंकि बचाव का वही एक रास्ता नजर आ रहा था। जापान दो दशक तक बेहाल रहा और वहां श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी ने श्रम सुधारों की राह सुनिश्चित की और अब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मैक्रों श्रम सुधारों की मांग के बावजूद चुनाव जीत गए क्योंकि वहां के लोगों को समझ में आ गया है कि रोजगार के मामले में हालात आपातकालीन हो चुके हैं। हमारे देश में भी श्रम सुधारों की आवश्यकता काफी पहले से है। राजनीतिक नजरिये से देखें तो पांच वर्षीय नीति सही होगी क्योंकि आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी और स्वतंत्रता के बीच के अंतर को रेखांकित करने के लिए बेहतर विकल्प होगी। आजादी विकल्पों के साााथ आती है और विकल्प तैयार करने का सबसे बेहतर मार्ग नौकरियां हैं। जीएसटी, नोटबंदी, कारोबारी सुगमता जैसे कदमों से देश की व्यवस्था को औपचारिक ही तो किया जा रहा है। बीते तीन साल में हमने भविष्य निधि में एक करोड़ और ईएसआई में 1.3 करोड़ अदाकर्ता जोड़े हैं। इस प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है?

बीते तीन सालों में श्रम मंत्रालय ने कोई खास नीति, क्षमता या कल्पनाशीलता नहीं दिखाई है। उसका कमजोर प्रदर्शन अब उसे मजबूर कर रहा है लेकिन उसे ईपीएफओ के लिए प्रतिस्पर्धा तैयार करनी चाहिए। यह दुनिया का सबसे महंगा सरकारी प्रतिभूति म्युचुअल फंड चलाकर नियोक्ताओं को लूटता है। इस योजना में अगर एक चालू खाता होगा तो चार सुसुप्त होंगे। ईएसआई देश का सबसे खराब स्वास्थ्य बीमा है। जहां दावों का अनुपात 45 फीसदी है और उसमें कर्मचारियों के 30,000 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार को संस्थानों के लिए यूनिवर्सल एंटरप्राइज नंबर की ओर आगे बढ़ना चाहिए बजाय कि एकीकृत प्रतिष्ठाान संख्या के। उसे सभी रिटर्न, चालान, रजिस्टर, लाइसेंस आदि को ऑनलाइन करना चाहिए और पूरी तरह कागजी कार्रवाई से मुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कानून इसलिए भी ठीक नहीं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 252 (2) के उपयोग को निष्प्रभावी करता है। इस विधान के तहत सात राज्यों को यह अधिकार है कि वे केंद्रीय श्रम कानूनों में संशोधन कर सकें। अगर केंद्र सरकार तय करने लगेगी कि मुंबई, इटावा, कानपुर, किश्तवाड़ और मैसूर में समान वेतन मिलेगा तो राज्य रोजगारोन्मुखी आदतें कैसे विकसित कर पाएंगे? इस आलेख के आरंभ में जिस

बच्चे का जिक्र था उसने कहा था कि मुंबई में उसे ग्वालियर की तुलना में चार गुना वेतन चाहिए क्योंकि मुंबई जाकर 10,000 रुपये कमाने वाले लोग वापस लौट आए। इस पैसे में वहां खाना, रहना और कार्यालय जाना नहीं हो पाता। न्यूनतम वेतन को धीरे-धीरे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है गैर कृषि, औपचारिक रोजगार में इजाफा। चीन ने बीते चार सालों में हर तिमाही के बाद न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। ऐसा तब हुआ जबकि उत्पादकता लगातार बढ़ती गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गैर कृषि रोजगार की ओर पलायन लगातार बढ़ता गया। सन 1978 के बाद से 64 करोड़ लोग इस दिशा में गए हैं। न्यूनतम वेतन में इजाफा करना दुनिया भर के राजनेताओं को पसंद रहा है क्योंकि यह मतदाताओं को काफी पसंद आता है। यह कर बढ़ाने का सस्ता विकल्प है, इसकी कोई लागत नजर नहीं आती है और यह गरीबों के लिए मददगार होता है। परंतु भारत जैसे कम औपचारिक रोजगार वाले क्षेत्र के लिए यह सही नहीं है। साथ ही यह संघवाद को प्रतिस्पर्धी बनाने की भावना के प्रतिकूल है। परंतु इसका सबसे बुरा असर हमारे युवाओं पर पड़ेगा। उच्च वेतन के बजाय उनको औपचारिक तौर पर मिलने वाला वेतन ही शून्य हो जाएगा। इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Date:31-08-17

Stand against reform

The government needs to rethink its position on the criminalisation of marital rape

To shore up a bad argument, it is always a good idea to threaten vague but dire consequences for traditional institutions. The central government has reached for this lifeline in its affidavit filed in Delhi High Court, opposing the criminalisation of marital rape for fear of damaging the very institution of marriage. Its stand goes against the grain of recent progressive rulings like the affirmation of the Right to Privacy and the abolition of triple talaq, and recommendations of the Justice JS Verma committee in 2013. If the government has its way, a woman subjected to sexual violence within the fold of marriage can only seek civil relief through the 2005 Act protecting against domestic violence.From the time of John Stuart Mill, Western democracies have grappled with the question of women's sexual autonomy, without which equality is an empty shell. Many have taken the ethical choice. On women's issues, as in the case of recognition granted by the Supreme Court in 2015 to live-in relationships for purposes of inheritance, conferring rights which even reformist Sweden does not offer, Indian courts and legislatures have often taken progressive positions. Now, however, the government is doing a disservice by impeding the momentum of reform in India. It vainly argued against privacy rights, it wants to keep marital rape off the statute books. It must recall Justice J.S. Verma's recommendation of a separate bill of rights for women guaranteeing "complete sexual autonomy".Autonomy is the big legal question facing India, as the nation decides between a progressive culture of individual dignity and freedom, and a society regimented by traditional norms favouring powers conferred by birth and circumstance. The Delhi High Court is refereeing one skirmish in a larger battle. The contested point is dignity for women who are, by and large, the designated victims of sexual politics. Criminalising marital rape will not damage the institution of marriage, as the government fears. It will humanise it by purging it of its baser elements. The J.S. Verma committee had recommended the mandatory registration of all marriages before a magistrate, irrespective of the personal laws under which they were solemnised. Against the progressive tide of the times, the stand of the government on privacy and marital rape is simply unsustainable. To spare itself further embarrassment, it should seek better counsel.

Date:31-08-17

When it pours

Monsoon continues to be misunderstood, flood governance is still about ad hoc relief measures. This needs to change

In April, the India Meteorological Department's first long-range forecast predicted a "normal" monsoon. The department reiterated this forecast in early June. But the monsoon this year has been all about inordinate amounts of rainfall. Parts of Assam, Bihar and Gujarat are submerged in historic levels of floodwater. On Tuesday, Mumbai was lashed by 315 mm of rainfall — its worst deluge since the catastrophic floods of July 26, 2005. Two weeks ago, Bengaluru experienced its heaviest downpour in 120 years. The Karnataka capital, though, was back to normal in two days and the Met department has said that the worst is over for Mumbai. The total rainfall in the country, this year, might also vindicate the department's forecast of a "normal" monsoon. But the weather patterns during the rainy season — days of intense downpour sandwiched between spells of dry weather — raise questions about our understanding of the monsoon, as well as about the ways in which we prepare for and deal with floods.More than 100 districts have received over 100 mm of rainfall in a day. This means that people in these places have had to contend with a fortnight's rainfall in a day — and at places much more than that. Mount Abu, for example, got over half its annual rainfall in two days. Bengaluru got about 30 per cent of its monsoon rainfall on one day. Chandigarh received nearly 15 per cent of its annual rainfall in a few hours in the third week of August. Climate scientists have been issuing warnings about such extreme rainfall for more than a decade. A 2013 Intergovernmental Panel on Climate Change report warned that Mumbai remains vulnerable to rainfall of the kind that led to the 2005 floods. "About 2.8 million inhabitants in Mumbai are exposed to coastal flooding, but this figure is projected to increase to 11 million by 2070 with exposed assets growing from $ 46.2 billion to $ 1.5 trillion in the same period," the report noted. It pointed out that the indiscriminate destruction of wetlands — sponges that soak up excess rainfall — has compromised the city's capacity to deal with floods. That holds true for Bengaluru, Guwahati, and several other cities of the country.

There has been little inclination to place the restoration of wetlands at the centre of flood control programmes. Flood governance in the country has not gone beyond ad hoc relief measures and building embankments. The floods in Assam and Bihar this year have shown — for the umpteenth time — that embankments are no bulwarks against the raging rivers. Of course, what is true for Assam and Bihar may not be so for Mumbai or Bengaluru. But it's also clear that we require fresh thinking on how to prepare for the monsoons and deal with floods.

Date:31-08-17

Religion At State Expense

SC verdict in the Gujarat shrines compensation case raises important questions.

Faizan Mustafa

BR Ambedkar termed Article 32 as the "soul of the Constitution" as citizens seek enforcement of their fundamental rights under it. Should the court give relief in writ jurisdiction only when one's right to life or personal liberty under Article 21 is violated, or can the state be held liable even with respect to violation of other fundamental rights such as the freedom of religion? Will an order for the payment of compensation for the repair of religious places be contrary to Article 27 of the Constitution, which prohibits the state from imposing any religious tax and the imposition of any tax whose proceeds are used for the maintenance of any particular religion? These questions become pertinent in the wake of a decision of the new Chief Justice of India, Dipak Misra, on August 28.In the 2002 communal riots in Gujarat, as many as 567 religious places including mosques, dargahs, khankahs etc. were either desecrated, damaged or destroyed. On February 8, 2012, the Gujarat High Court ordered the state government to get these religious places repaired and reimburse their owners/managers if they had already got them repaired. The Gujarat government appealed to the Supreme Court. It argued that for any loss of property, the remedy is in civil law and that the HC, in its writ jurisdiction under Article 226, cannot pass such an order as the right to property after the 44th Amendment is not a fundamental right but simply a constitutional right. The state government admitted that for the violation of the right to life and personal liberty, writ jurisdiction of high courts can be invoked. But for the violation of other fundamental rights like the right to equality or freedom of speech, the remedy is striking down of the law which violates those rights. It argued that since India is a secular state it can't spend government money for any religious purpose due to Article 27.

The respondents based their case on the joint reading of the fundamental rights and said if religious places of weaker sections of population are especially targeted, it not only violates the freedom of religion but also the right to equality and right to personal liberty. It adversely affects their dignity as well. Fundamental rights are woven together and cannot be compartmentalised in a strait jacket. The maintenance of law and order is the primary duty of the state government. They also argued that compensation is not being sought for the maintenance of any particular religion but for the failure of the government in fulfilling its basic duty.The SC accepted the argument that the power of the writ court to award compensation is limited. It appears the two-judge bench did not take into account the recent nine-judge bench judgment on privacy, which clearly rejected the view of treating fundamental rights as independent islands. All fundamental rights are to be now read together. The latest verdict of the larger bench also read the freedom of religion in Article 21. In any case, the writ jurisdiction of high courts is wider than the apex court's powers as while the SC can issue writs just for the violation of fundamental rights, the HCs can do it additionally for the violation of other rights.The court was not properly informed about the money governments routinely spend on religious activities. The court did not notice Article 290A, under which the State of Kerala provides Rs 46.5 lakh annually to the Travancore Devaswom Fund and Tamil Nadu gives Rs 13.5 lakh to the Devaswom fund for the "maintenance of Hindu temples" out of the consolidated fund. Justice Misra did notice an earlier judgment, where the court had held if a small amount is spent for religious purposes it will not be hit by Article 27.

The Indian government spent Rs 100 million in developing infrastructure on the Amarnath yatra route. Chief ministers make huge offerings to Tirupati Balaji on behalf of their governments. The Haj subsidy has not been withdrawn despite the SC's ruling. The BJP government in Rajasthan, in its last tenure, gave Rs 260 million for temple renovations and training Hindu priests. The Congress government of the erstwhile Andhra Pradesh allocated Rs 600 million for the welfare of priests. Gujarat pays salaries to

Muslim imams. The Madhya Pradesh government sponsors senior citizen's trips to Ajmer and other religious sites. Recently, the Indian Army advertised for 82 imams.Besides, the apex court expressed satisfaction on the Gujarat government's scheme of payment of compensation with the maximum amount restricted to Rs 50,000.

THE HINDU

Date:31-08-17

Managing embankments

Involving the communities would help minimise the misery in flood-prone areas

Nirmalya Choudhury

Life had come to a standstill in the Ganga-Brahmaputra floodplains where large tracts of land were reeling under floods. Everywhere there were submerged houses, broken bridges, and wasted railway tracks. The fury of the waters in the Kishanganj and Katihar districts of Bihar had cut off the road and rail services in north Bengal, and consequently Northeast India's connectivity by rail with the rest of India. On such occassions, schools routinely turn into relief centres and schoolchildren are forced to take a "flood vacation". Access to water and sanitation is difficult. Open defecation is common, and the use of contaminated water leads to a peak in water-borne diseases. Agricultural land is either covered with sand or remains waterlogged.

No 'safe' area in the floodplains

Further accentuating the misery is the failure of embankments — the gold standard for flood protection. An embankment is an uplifted earthen structure constructed along the river channel to artificially reduce the size of the floodplains by constricting floodwaters to a narrow stretch. The land outside the embankment is supposed to be safe from floods. However, embankment breach resulting in flooding the "safe" areas is routine. We need a paradigm shift in the way these embankments are managed. It is important to involve the community that is close to the embankment in its management. Only then can we break the build-and-forget mentality that currently rules the bureaucracy.Our study of over 100 villages in the Ganga-Brahmaputra floodplains found that villages in these areas are exposed to diverse water-related hazards depending on their location vis-a-vis an embankment. Those located inside the embankment are vulnerable to floods and riverbank erosion, and those outside, in the "safe" areas, are prone to extended periods of inundation. This takes place when the construction of an embankment causes the drainage lines to be blocked, the regulators in the embankments become dysfunctional, or when there is a backflow of the larger river in spate. The people in these "safe" areas suffer from a perennial fear of embankment breach, which is not entirely unfounded. In Bihar in 2008, there was a colossal embankment breach in the Kosi river basin. This year too, in parts of Assam, Bihar and West Bengal breaches have caused flooding. Only in a few cases have newly constructed embankments been

able to protect villages located outside them from floods. Despite this, in flood-prone areas with no embankments, people still articulate the need for embankments.

Till now, embankments have been managed by irrigation or flood-control departments. However, the communities near the embankments are best positioned to take care of them. The responsibility of embankment management could be devolved to the community, while the ownership right resides with the state. But this task of decentralisation will not be easy when society is fractured along the lines of caste, class, and religion. We must remember then that disaster is non-discriminatory and affects all.To incentivise collective action from the community, the state has to create an enabling institutional environment. The community-based organisations (embankment management committees) should be empowered to earn revenue from the embankments through levying tolls (as most embankments are also used as roads), and undertake plantation activities (and sale of the harvest). In areas where villages exist both inside and outside the embankment, their interests conflict. In such cases, efforts could be made to ensure that the former has a greater share of the revenue. This will dissuade them from causing a breach. While the irrigation or flood-control departments might issue tenders for periodic maintenance activity, the committees could act as a partner to partly implement the same, or act as a monitoring agency. Payment to contractors could be conditioned upon a joint inspection by the irrigation department and the embankment management committees.Promoting decentralised management systems is yet to be tested for embankment management, even as participatory irrigation and joint forest management are established practices. But if the past teaches us something, it is that build-and-forget cannot be an option for embankments. If we have to shift from reactive flood protection to year-round flood governance, we must design ways of embankment management in flood-prone areas. Participatory embankment management could be the way forward.

जनसत्ता

Date:31-08-17

मुआवजा और मरम्मत

करदाताओं का धन धार्मिक ढांचों के जीर्णोद्धार के लिए नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश का दूरगामी नतीजा होगा।

गुजरात में दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों की मरम्मत के लिए मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है और उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार एक निश्चित मुआवजा देने को तैयार है। ऐसे में करदाताओं से जुटाई गई राशि के बड़े हिस्से को किसी धर्मविशेष के पूजास्थलों के जीर्णोद्धार या रखरखाव में खर्च करने से अनुच्छेद 27 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत के पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का आदेश कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार की जाती है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को संरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता का अहम पहलू है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना ही चाहिए और लोगों के बीच सहिष्णुता कायम रहनी चाहिए, लेकिन सरकार को धर्मस्थलों की मरम्मत का निर्देश नहीं

दिया जा सकता वरना इससे धर्मनिरपेक्षता का ताना-बाना प्रभावित होगा। करदाताओं का धन धार्मिक ढांचों के जीर्णोद्धार के लिए नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश का दूरगामी नतीजा होगा।गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में भड़के दंगे के दौरान करीब पौने छह सौ धार्मिक ढांचों में तोड़फोड़ की गई थी। द इस्लामिक रिलीफ कमेटी आॅफ गुजरात ने गुजरात हाईकोर्ट में 2003 में एक याचिका दाखिल करके क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिका के मुताबिक दंगाइयों ने 567 धार्मिक ढांचों को अपना निशाना बनाया था, जिनमें से 545 ढांचे मुसलिम समुदाय से जुड़े थे। इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, खानकाह तथा अन्य धार्मिक स्थल शामिल थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता कमेटी ने भी संतोष जताया है, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सरकार की नीतियों की जीत है। गुजरात सरकार की खुशी स्वाभाविक है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त महान्यायवादी तुषार मेहता के इस तर्क संतुष्ट दिखा कि गुजरात सरकार ने क्षतिग्रस्त किसी भी निर्माण के लिए पचास हजार रुपए की एकमुश्त रकम देने की नीति बनाई है। अदालत ने कहा कि जो मुआवजा लेना चाहते हैं वे आठ हफ्ते के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपना आवेदन दे सकते हैं।

इससे पहले गुजरात सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि उसने 2001 में आए भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों को भी कोई मुआवजा नहीं दिया था, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि करदाता से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर वसूली नहीं की जा सकती। हालांकि प्रतिपक्षी इस्लामिक रिलीफ कमेटी की ओर से यह दलील दी गई कि किसी वर्चस्वशाली समूह द्वारा किसी कमजोर तबके के पूजास्थलों को अगर क्षति पहुंचाई जाती है तो इसका जीर्णोद्धार करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा करना किसी धर्म को प्रोत्साहन देना नहीं है। सरकार अगर तोड़े-फोड़े गए धर्मस्थलों को ठीक नहीं कराती तो यह अनुच्छेद 21 ए में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि सरकार ने मुआवजा देने की बात मान ली है।